शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रं/रा.शि.के./आईईडी /2011–12/1053 भोपाल दिनांक 28.1.2012

प्रति ,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला ....(म.प्र.) (संलग्न परिशिष्ट–'अ' अनुसार)

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला ....(म.प्र.)
संलग्न परिशिष्ट–'अ' अनुसार

विषय :– विकलांग बच्चों की शिक्षा में भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 90 दिवसीय आधार पाठ्यकम में शिक्षकों को भेजने हेतु ।

संदर्भ– राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का पत्र क./राशिके/आईईडी/2011/1304 दिनांक 23.5.2011 एवं पत्र क./राशिके/आईईडी/2011/8816 दिनांक 26.9.2011

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा में म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के अध्ययन केन्द्रों में 90 दिवसीय आधार पाठ्यकम का प्रशिक्षण जिलों के 40–40 शिक्षकों हेतु जून–अगस्त 2011 तथा अक्टूबर–दिसंबर 2011 की अवधि में कराया गया है। उक्त सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यकम में जिलों से पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की सहभागिता न होने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी है। अतः निर्दिष्ट अध्ययन केन्द्रों पर इस वर्ष का अंतिम प्रशिक्षण कार्यकम माह फरवरी–अप्रेल 2012 की अवधि में संलग्न कार्यकम (परिशिष्ट–अ) अनुसार किया जा रहा है। संलग्न सारणी में दर्शाए गए जिलों से निर्धारित संख्या में शिक्षकों का चयन कर 14 दिवस एवं 07 दिवस के सम्पर्क कार्यकम एवं अन्त में 01 दिवस के लिए परीक्षा हेतु संबंधित केन्द्रों पर निम्नानुसार मापदण्ड/निर्देशों के प्रकाश में निर्दिष्ट अध्ययन केन्द्रों पर भेजना सुनिश्चित करें ।

प्रशिक्षार्थी – शिक्षक,सहायक शिक्षक अथवा अध्यापक, कनिष्ठ अध्यापक संवर्ग का होना चाहिए। संविदा शिक्षक भी भेजे जा सकते हैं जिनकी संविदा अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हो ।

1. प्रशिक्षार्थी शिक्षक की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
2. शिक्षकों का चयन ऐसे विद्यालयों से करें जहॉं दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक विकलांग बच्चे अध्ययनरत हैं ।
3. जिलों में संचालित cwsn छात्रावास के बच्चे जिस शाला में समावेशित किए गए हों वहां के कम से कम 1 शिक्षक को अनिवार्यतः प्रशिक्षण में भेजा जाए ।
4. ऐसे शिक्षक को कदापि नामांकित न किया जाए जिन्होनें पहले 90 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।
5. शिक्षकों हेतु लाजिंग/बोर्डिंग की व्यवस्था संबंधित प्रशिक्षण स्थल पर की जाएगी ।
6. शिक्षकों के चयन में प्राथमिकता ऐसे शिक्षकों को दी जाये जो कि निर्धारित मापदण्ड पूरे करते हों तथा जो स्वेच्छा से प्रशिक्षण लेना चाहतें हों । यदि किसी शिक्षक की स्वेच्छा प्राप्त नहीं होती है तो चयनित शाला के किसी उपयुक्त शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु नामांकित करें ।
7. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रशिक्षण देने वाले अध्ययन केन्द्रों से लगातार सम्पर्क में रहें तथा सम्पर्क कार्यकम की मॉनीटरिंग कराना सुनिश्चित करें ।
8. आवासीय प्रशिक्षण हेतु अनुमानित राशि अग्रिम बतौर राज्य शिक्षा केन्द्र से सीधे संबंधित अध्ययन केन्द्रों को जारी की जावेगी। अध्ययन केन्द्रों द्वारा उपस्थित प्रतिभागी शिक्षकों को उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर राशि प्रदान की जावेगी तथा एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से रांशि का वितरण अध्ययन केन्द्र द्वारा किया जाकर प्रमाणित पंजी उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षण

समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत की जाएगी जिसके आधार पर राशि का समायोजन मान्य किया जावेगा ।

9 प्रतिभागी शिक्षकों की सहमति होने पर अध्ययन केन्द्र उक्त सीमा में शिक्षकों हेतु लाजिंग/बोर्डिंग की व्यवस्था कर सकते हैं ।

10 आपके द्वारा नामांकित एवं संपर्क कार्यक्रम मे भेजे जा रहे शिक्षक को यथा समय कार्यमुक्त कराना एवं उसे सर्व शिक्षा अभियान से शासकीय नियमानुसार अग्रिम यात्रा भत्ता देना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार परिशिष्ट–अ।

(डॉ.ओ.पी.शर्मा) 28-1-12
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.क./रा.शि.के./आईईडी/2011/1054 भोपाल , दिनांक 28.1.2012

प्रतिलिपि –

1. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी–22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली–110016 की . ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय , गौतम नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर , संबंधित जिले की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , संबंधित जिले की ओर सूचनार्थ ।
5. रजिस्ट्रार , म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय , कोलार रोड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. इन्चार्ज विशेष आवश्यकता समूह की शिक्षा कक्ष म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित अध्ययन केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. डाइट प्राचार्य (सहभागिता करने वाले शिक्षको के जिलों की) ओर सूचनार्थ एवं डाइट के पीजीपीडी प्रशिक्षित व्याख्याता को प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनीटरिंग कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित करेने बावत् ।
9. सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट **www.ssa.mp.gov.in/circulars.htm** एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।

28-1-12
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

परिशिष्ट–अ

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल (म.प्र.)

फरवरी से अप्रेल 2012 तक आयोजित किये जाने वाले 90 दिवसीय आधार पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवंटित जिलों की जानकारी एवं संपर्क कार्यक्रम समय सारणी

क्र.	अध्ययन केन्द्र के पूर्ण पते	फरवरी से अप्रेल 2012 तक के जिलों के बैच एवं सहभागिता करने वाले शिक्षकों की संख्या
1	मूक बधिर संगठन , स्कीम नं. 71बी , रणजीत हनुमान मन्दिर के पीछे इन्दौर म.प्र. फोन नं. –0731–2383559	डी–1 झाबुआ –20 एवं अलीराजपुर–20 डी–2 धार –40
2	अवसर पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्था 245 , केशव गंज छोटी पाएगा सागर (म.प्र.) फोन नं. –07582–233226 , 9826077429	डी –1 सागर –20 एवं छतरपुर–20
3	जे.टी.एम.आर.आई.रोटरी क्लब लोहिया पुल पचपेढी जबलपुर (म.प्र.) 482001 फोन नं.–0761–4037069 , 9425152652	डी –1 कटनी– 30 एवं शहडोल–10
4	विकलांग कल्याण संघ , चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा , एम आर –10 सुखलिया इन्दौर (म.प्र.) फोन नं. –0731–2553800, 942565915	डी –1 खण्डवा–10 बुरहानपुर– 10 उमरिया– 20 डी –2 शाजापुर–40
5	म.प्र. विकलांग सहायता समिति , सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन (म.प्र.) फोन नं.– 0734–2511031 , 9425332740	डी –1 रतलाम–20 नीमच– 10 मंदसौर–10
6	शिव कल्याण एवं शिक्षण समिति डी 58 नेहरू नगर भोपाल (म.प्र.) फोन नं. –0755–267592 , 9425300070	डी –1 विदिशा –10 हरदा–10 टीकमगढ़–20
7	अरूषि संस्था , 1 शिवाजी नगर , गैस राहत कोर्ट के पास , भोपाल (म.प्र.) फोन नं. –0755–4293399, 9425376673, 9827220041	डी –1 भोपाल–20 एवं राजगढ़–20 डी –2 पन्ना –20 एवं सीहोर –20
8	गुरूकुल संस्कृत शिक्षा समिति , विवेकानन्द विकलांग आश्रम,कमल फीलिंग स्टेशन सीधी (म.प्र.) फोन नं.–07822–253132,9425277816 ,9425177816	डी –1 सीधी –20 एवं रीवा –20 डी –2 सिंगरौली–20 एवं सतना–20
9	दृष्टिहीनों की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र ,पाढर बैतूल (म.प्र.)फोन नं. –07141–263231, 9424430425	डी –1 होशंगाबाद–20 नरसिंहपुर–10 छिंदवाड़ा–10
10	निःशक्तों हेतु पुनर्वास एवं स्वास्थ्य सेवाएं , रामकृष्ण आश्रम ,रामकृष्ण पुरी , ग्वालियर (म.प्र.) फोन नं.– 0751–4081048	डी –1 श्योपुर –10 गुना– 10 अशोकनगर–10 दतिया–10
11	अमर ज्योति पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्था 18 ,कोटेश्वर रोड , विनय नगर , सेक्सन 03, भोदापुर रोड ग्वालियर (म.प्र.)– फोन नं.– 0751–2490294	डी – 1 शिवपुरी –20 भिण्ड–10 मुरैना–10
12	सीमा सोशल वेलफेयर सोसायटी , रानी दुर्गावती वार्ड उदय चौक मण्डला (म.प्र.) – फोन नं.–07642–250149, 9425484731	डी –1 बालाघाट–10 डिन्डोरी–10 सिवनी–10 अनूपपुर–10

90 दिवसीय आधार पाठ्यक्रम के संपर्क कार्यक्रम की समय सारणी (बैच– फरवरी से अप्रेल 2012)

आधार पाठ्यक्रम अवधि	जिले	14 दिवस के प्रथम संपर्क कार्यक्रम की तिथियां	7 दिवस के द्वितीय संपर्क कार्यक्रम की तिथियां	परीक्षा की तिथि
फरवरी से अप्रेल 2012	डी –1	09–22 फरवरी –2012	16–22 अप्रेल–2012	30 अप्रेल –2012
	डी –2	23 फरवरी से 07 मार्च–2012	23–29 अप्रेल–2012	30 अप्रेल –2012